अज अदालत – अपर कलक्टर मुकाम अजमेर

नगर निगम अजमेर **बनाम** हरिप्रसाद

किस्म मुकदमा–पी0डी0आर0 एक्ट **प्रकरण संख्या 01 सन् 2018**

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील अनुपस्थित। प्रार्थी/वकील प्रार्थी को दिनांक 26.10.2018 से दिनांक 10.01.2020 तक 11 अवसर प्रदान करने व दिनांक 20.02.2020 को अंतिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी उनके द्वारा अप्रार्थी के नाम नोटिस तलबाना भरकर पेश नहीं किये गये। आदेशिका दिनांक 20.02.2020 के पश्चात पुनः दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 24.11.2021 तक 16 अवसर प्रदान करने, तत्पश्चात दिनांक 22.12.2021 से 03.05.2024 तक रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस पेश करने हेतु 26 अवसर प्रदान करने के उपरान्त आज भी नोटिस तलबाना भरकर पेश नहीं किये गये हैं एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है। ना ही नियमित रूप से जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। आदेशिका दिनांक 26.10.2018 से 03.05.2024 तक 53 अवसर प्रदान किये जाने एवं लगभग 5 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रार्थी/वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है। जिससे प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है एवं ना ही प्रार्थी व उनके अभिभाषक नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकरण के बाबत उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक व अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते हैं तो उन्हे न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पालना/अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। **(लोकेश कुमार गौतम)** **अपर कलक्टर** **अजमेर**	